रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 | भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA | REGISTERED No. D.L.—33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 6, 2013/ज्येष्ठ 16, 1935 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 53
No. 98] DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 2013/JYAISTHA 16, 1935 [N.C.T.D. No. 53

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 जून, 2013

सं0 फा0 2/201/2002/डीआईएसएमएच/हौम्यो0/3424.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24.09.1968 के कार्यालय ज्ञापन सं0 24/78/68–डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय में दिनांक 27 जून, 2007 को अधिसूचित दिल्ली स्वास्थ्य सेवा नियमावली के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के अधिक्रमण में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व परामर्श के पश्चात् निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ :–

(i) इन नियमों को दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) नियमावली, 2013 कहा जा सकेगा।

(ii) ये शासकीय राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगी।

2. **परिभाषाएं** :– जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन नियमों में —

(क) "आयोग" का अर्थ संघ लोक सेवा आयोग से है;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकरण" का अर्थ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है;

(ग) "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ सेवा के 'क' वर्ग के पदों की पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों पर विचार हेतु चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति से है;

(घ) "ड्यूटी पद" का अर्थ किसी उस पद से है जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट चाहे यह स्थाई या अस्थाई हो;

(ङ) "सरकार" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति एवं अनुच्छेद 239 कक के अन्तर्गत यथा पदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;

(च) "ग्रेड" का अर्थ प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रेडों में से किसी एक ग्रेड से है;

(छ) "अनुसूची" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न किसी अनुसूची से है;

(ज) "सेवा" का अर्थ दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी भारतीय चिकित्सा (होम्योपैथी) से है।

3. **सेवा का गठन** :–

(1) दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) ("क" वर्ग) नामक सेवा गठित की जाएगी जिसमें इन नियमों के नियम 7 और नियम 8 के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति होंगे।

(2) सेवा में सम्मिलित सभी पद "क" वर्ग के पद होंगे।

4. **सेवा की संरचना** :–

सेवा में सम्मिलित सभी ड्यूटी पद सामान्य केन्द्रीय सिविल सेवा "क" वर्ग, राजपत्रित, अलिपिकीय और ग्रेड, वेतनमान, प्रैक्टिस बंदी भत्ता एवं इससे सम्बद्ध अन्य विषय प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **सेवा का प्राधिकृत संख्या बल** :–

(i) इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पदों की प्राधिकृत संख्या बल द्वितीय अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगा।

(ii) इन नियमों के प्रारंभ होने के उपरान्त विभिन्न ग्रेडों में ड्यूटी पदों का प्राधिकृत स्थायी संख्या बल सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित किया जाएगा।

(iii) सरकार समय–समय पर विभिन्न ग्रेडों के ड्यूटी पदों की संख्या बल में यथावश्यक अस्थाई परिवर्धन या कटौती कर सकती है।

(iv) सरकार, आयोग से परामर्श करके द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित पदों के अतिरिक्त किसी अन्य पद को सेवा में सम्मिलित या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से हटा सकती है।

(v) सरकार, आयोग से परामर्श करके उपनियम (4) के अन्तर्गत सेवा में सम्मिलित पद वाले किसी अधिकारी को किसी अस्थाई पद या किसी स्थाई पद में सेवा के यथोचित उपयुक्त ग्रेड में नियुक्त कर सकती है और समकक्ष ग्रेड में निरन्तर नियमित सेवा को ध्यान में रखने के उपरान्त ग्रेड में उसका वरिष्ठताक्रम निर्धारित कर सकती है।

(vi) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कुल पदों के पांच प्रतिशत पद "छुट्टी आरक्षित" के रूप में सेवा में सम्मिलित किए जाएंगे।

6. **सेवा के सदस्य** :–

(1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(क) नियम 5 के उपनियम (v) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति;

(ख) नियम 7 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति; तथा

(ग) नियम 8 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।

(2) उपनियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति होने पर अनुसूची–2 में उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य मान लिया जाएगा।

(3) उप–नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तिथि से अनुसूची–2 में उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

7. **सेवा का प्रारम्भिक गठन :–**

(1) दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के अन्तर्गत नियुक्त सभी सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी, सहायक निदेशक (होम्योपैथी) और उप–निदेशक (होम्योपैथी) इन नियमों के प्रारंभ होने को या पूर्व इन नियमों के अन्तर्गत नियुक्त मान लिये जायंगे और वे अपने–अपने ग्रेडों में सेवा के सदस्य होंगे।

(2) इन नियमों के प्रांरभ होने से पहले उप–नियम (1) में संदर्भित अधिकारियों की नियमित सतत् सेवा को परिवीक्षा, पदोन्नति के लिये अर्हक सेवा, स्थाईकरण और पेंशन के प्रयोजन के लिये गिनी जाएगी।

8. **सेवा का भविष्य में अनुरक्षण :–**

(i) अनुसूची–II में संदर्भित किन्ही ग्रेडों में से किसी ग्रेड की रिक्तियां इन नियमों के अन्तर्गत उपबंधित किये जाने के बाद इसमें उल्लिखित पद्धति से भरी जाएंगी।

(ii) सम्बद्ध उप संवर्गों के पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए आसन्न निम्न ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा सहित भर्ती पद्धति, पदोन्नति के लिये चयन का क्षेत्र अनुसूची–III में यथाविनिर्दिष्ट होगी/होगा।

(iii)(क) विभागीय पदोन्नतियां संवर्ग के अधिकारियों तक सीमित रहेंगी।

(ख) उच्चतर पदों पर विभागीय पदोन्नतियां अनुसूची–IV यथागठित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों के आधार पर आसन्न निम्न ग्रेड में सेवा के अधिकारियों में से चयन के आधार पर की जाएगी।

(iv) यदि सेवा के किसी पद पर नियुक्त कोई अधिकारी उच्च पद में नियुक्ति के लिये मान लिया जाता है, तो ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा। शर्त यह है कि वे ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा एक वर्ष से अधिक कम न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो, यदि कोई निर्धारित हो।

(v)(क) गैर चयन आधार (वरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता) पर सेवारत किसी अधिकारी की नियुक्ति करने को छोड़कर सेवा के अनुरक्षण के लिये अधिकारियों का चयन आयोग के परामर्श से किया जाएगा और जब आवश्यक हो तब अनुसूची–IV में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।

(ख) (क) सीधी भर्ती द्वारा सेवा के विभिन्न ड्यूटी पदों की नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षिक और अन्य योग्यताएं, अनुभव तथा आयु सीमा अनूसूची–V में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

नोट : उक्त वर्णित ग्रेडो (प्रविष्टि ग्रेडों से भिन्न) में पदोन्नति रिक्तियों से लिकेंज के बिना होगी।

(vi) कार्य क्रियात्मक प्रयोजनों के लिये :–

(क) कोई वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जब किसी औषधालय/अस्पताल में या भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी निदेशालय में तैनात किया जाए तब वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में या सहायक निदेशक के रूप में, जैसी भी स्थिति होगी, पदनामित किया जाएगा।

(ख) कोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जब किसी औषधालय/अस्पताल में या भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी निदेशालय में तैनात किया जाए तब मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में या उप–निदेशक के रूप में, जैसी भी स्थिति होगी, पदनामित किया जाएगा।

(ग) 10,000+15,200 रुपये + प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (संशोधन पूर्व)/15,600–39,100 रुपये ग्रेड वेतन 6600 रुपये (संशोधित)+प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के वेतनमान पूर्व में वर्तमान सहायक निदेशक और 12,000–16,500 (संशोधन पूर्व)/15,600–39,100 रुपये ग्रेड वेतन 7600 रुपये (संशोधित)+प्रैक्टिस बंदी भत्ता के वेतनमान के उप–निदेशक को क्रमशः 10,000–15,200 रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधन पूर्व)/15,600–39,100 रुपये ग्रेड वेतन 6600 रुपये (संशोधित)+प्रैक्टिस बंदी भत्ता और 12,000–16,500 रुपये (संशोधन पूर्व)/15,600–39,100 रुपये ग्रेड वेतन 7600 रुपये (संशोधित) + प्रैक्टिस बंदी भत्ता वेतनमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्तर के और 12,000–16,500 रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधन पूर्व) 15,600–39,100 रुपये+7600रुपये के ग्रेड वेतन+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधित) में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किये गये मान लिये जाएंगे। इस प्रकार सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में सम्मिलित वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी स्तर के सहायक निदेशक 12,000–16,500 रुपये (संशोधन पूर्व) 15,600–39,100 रुपये के ग्रेड वेतन 7600 रुपये (संशोधित)+प्रैक्टिस बंदी भत्ता के वेतनमान में सहायक निदेशक के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर 12,000–16,500 रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधन पूर्व) 15,600–39,100 रुपये+7600 रुपये के ग्रेड वेतन+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधित) में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के विचार किए जाने योग्य होंगे। इस प्रकार सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में सम्मिलित मुख्य

चिकित्सा अधिकारी स्तर के उप–निदेशक 14,300–18,300 रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधन पूर्व)/वेतन समूह–IV 37,400–67,000 रुपये + ग्रेड पे 8700 रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधित) के वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर कार्य क्रियात्मक चयन ग्रेड) के रूप में ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर कार्य क्रियात्मक ग्रेड) के ग्रेड में नियुक्ति के लिये विचार किये जाने योग्य होंगे।

9. **वरिष्ठता क्रम :–**

नियम 6 के अन्तर्गत सेवा के प्रारंभिक गठन के समय ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों का वरिष्ठता क्रम इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को मिलेगा :

बशर्ते कि यदि ऐसे किसी सदस्य की वरिष्ठताक्रम का उक्त तिथि को विशेष रूप से निर्धारण नहीं किया गया था, तो उस सदस्य की वरिष्ठताक्रम को इस नियमावली के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा के सदस्यों पर लागू वरिष्ठताक्रम के सुनिश्चयन संबंधी नियमों के आधार पर निर्धारण किया जायेगा।

(ख) नियम 6 के अधीन नियुक्ति के पदों को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती अधिकारियों की वरिष्ठताक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) नियम 5 के उप–नियम (5) के अनुसार सेवा में भर्ती व्यक्तियों की वरिष्ठताक्रम उसमें उपबंधित रूप से निश्चित किया जायेगा।

(घ) जो मामले उक्त प्रावधानों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं उनका वरिष्ठताक्रम आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा ।

10. परिवीक्षा :–

(i) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

उपबंध किया जाता है कि नियंत्रक अधिकारी सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकता है।

यह भी उपबंध है कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्णय पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से सामान्यतः आठ सप्ताह के भीतर लिया जायेगा तथा इसकी सूचना उक्त अवधि में संबंधित अधिकारी को परिवीक्षा अवधि बढ़ाए जाने का लिखित कारण बताते हुए दी जाएगी।

(ii) परिवीक्षा अवधि या बढ़ोतरी अवधि के पूरा होने पर यदि अधिकारी को उपयुक्त माना जाता है, तो उस पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसे पहले प्रवेश ग्रेड में स्थायी नहीं किया गया हो।

(iii) यदि परिवीक्षा अवधि या बढ़ोतरी अवधि में जैसी भी स्थिति हो, में सरकार का अभिमत है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो सरकार अधिकारी को बर्खास्त या सेवा में नियुक्ति से पूर्व धारित पद पर पदावनत, जैसी भी स्थिति हो, कर सकती है।

(iv) परिवीक्षा अवधि या इसकी किसी बढ़ोतरी अवधि के दौरान प्रत्याशियों को प्रशिक्षण एवं शिक्षा के ऐसे पाठ्यक्रम करने के लिये सरकार द्वारा अनिवार्य किए जा सकेंगे, और ऐसी परीक्षाएं और परीक्षण (हिन्दी में परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करने होंगे जैसे सरकार, परिवीक्षा अवधि की संतोषजनक संपूर्ति के लिये उपयुक्त समझ सकती है।

(v) परिवीक्षा संबंधी अन्य मामलों के संबंध में सेवा के सदस्य समय–समय पर इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों से नियंत्रित होंगे।

11. **सेवा में नियुक्ति :–**

सेवा की सभी नियुक्तियाँ नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

12. **सेवा के लिए दायित्व एवं अन्य सेवा शर्तें :–**

(i) सेवा में नियुक्त अधिकारी को दिल्ली में कहीं भी सेवा करनी होगी।

(2) प्राइवेट प्रैक्टिस का निषेध:–

सेवा में नियुक्त व्यक्ति को परामर्श तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी।

ऐसे व्यक्ति अनुसूची-I में विनिर्दिष्ट दर से गैर प्रैक्टिस भत्ते के पात्र होंगे।

इन नियमों में स्पष्ट रूप से न उपबंधित विषयों के संबंध में सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तें यथावश्यक परिवर्तनों सहित और सेवा के संबंध में सरकार द्वारा जारी किन्हीं विशेष उपबंधों के अधीन सामान्यतः केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों पर लागू शर्तों के समान होंगे।

13. **अयोग्यता** .– ऐसा कोई भी व्यक्ति,–

(क) जो किसी जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

शर्त यह है कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं, तो वह किसी भी ऐसे प्रत्याशी को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

14. **शिथिल करने की शक्ति** .–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आयोग से परामर्श करके कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमो के किसी भी उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकती है।

15. **बचाव**.– इन नियमों में कुछ भी होते हुए इस संबंध में समय–समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, निवर्तमान सैनिक और अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों से संबधित प्रत्याशियों के लिये उपलब्ध कराये जाने वाले आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

16. **व्याख्या**.– यदि इस नियमावली की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह पैदा होता है तो सरकार आयोग के साथ परामर्श से इस पर निर्णय लेगी।

17. **निरसन**.– चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी), सहायक निदेशक (होम्योपैथी) तथा उप–निदेशक (होम्योपैथी) के भर्ती नियमों को क्रमशः अधिसूचना सं0 53/13/94/स्वा0 एवं परि0कल्या0–11/ दिनांक 12 अप्रैल,1999, सं0फा0 2(8)/82/सेवाएं–II, दिनांक 15 जुलाई, 1982 एवं सं0फा0 11(1)/97–स्वा0 एवं परि0 कल्या0, दिनांक 12 मई,1999 द्वारा अधिसूचित किया गया थे, वे निरस्त किये जाते हैं।

अनुसूची–I

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) नियमावली में सम्मिलित 'क' वर्ग के पदों के ग्रेड, वेतनमान और प्रैक्टिस बंदी भत्ता इत्यादि :–

क्र0 सं0	ग्रेड	वेतनमान
(i)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी गैर क्रियात्मक चयन ग्रेड	वेतन समूह–4 (37,400–67,000 रुपये) ग्रेड वेतन 8700 रुपये
(ii)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	वेतन समूह–3 (15,600–39,100 रुपये) ग्रेड वेतन 7600 रुपये
(iii)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	वेतन समूह–3 (15,600–39,100 रुपये) ग्रेड वेतन 6600 रुपये
(iv)	चिकित्सा अधिकारी	वेतन समूह–3 (15,600–39,100 रुपये) ग्रेड वेतन 5400 रुपये

II. **प्रैक्टिस बंदी भत्ता**

सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार ग्राह्य प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरें होंगी।

2530 DG/13-2

III. वार्षिक भत्ता

सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार ग्राह्य स्नातकोत्तर भत्ता/सवारी भत्ता/वार्षिक भत्ता

अनुसूची–II

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) संवर्ग कर अधिकृत कार्य पद :-

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1	**भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी निदेशालय**	
	उप–निदेशक (होम्योपैथी)	1
	सहायक निदेशक (होम्योपैथी)	1
2	**होम्योपैथी औषधालय**	
	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी	109
3	**नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल**	
	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	2
4	**डा0 बी0आर0सुर0 होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज अस्पताल एवं शोधन केन्द**	
	सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	2
	कुल योग	115

अनुसूची–III

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के "क" समूह ड्यूटी पदों की भर्ती पद्धति, पदोन्नति के लिए चयन क्षेत्र तथा आसन्न न्यून ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा :-

क्र0 सं0	पदनाम	पदोन्नति के लिए भर्ती पद्धति	चयन का क्षेत्र तथा न्यूनतम अर्हक सेवा
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड) वेतन समूह -4 (37,400-67,000 रुपये + ग्रेड पे 8700 रुपये)	वरिष्ठताक्रम एवं उपयुक्तता की शर्त के अधीन रिक्त पदों पर विचार न करते हुए गैर चयन आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	"क" समूह के पदों पर तेरह वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर या रिक्त पदों को ध्यान में न रखते हुए 12,000–16,500 रुपये के संशोधित पूर्व वेतनमान में की गई सेवा सहित वेतन समूह–3 ग्रेड पे 7600 रुपये में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप–निदेशक (होम्योपैथी) के रूप मे चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर।
2	मुख्य चिकित्सा अधिकारी वेतन समूह–3 (15, 600-	वरिष्ठताक्रम एवं उपयुक्तता की शर्त अधीन रिक्त पदों को ध्यान में न रखते हुए गैर	रिक्तियों को ध्यान मे न रखते हुए 10,000–15,200 रुपये के संशोधित पूर्व वेतनमान में की गई सेवा सहित वेतन समूह–3 ग्रेड वेतन 6600रु–रुपये में वरिष्ठ चिकित्सा

	39,100 रुपये) ग्रेड पे 7600 रुपये	चयन आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	अधिकारी/सहायक निदेशक (होम्योपैथी) के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर या चिकित्सा अधिकारी तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक (होम्योपैथी) के रूप में कुल नौ वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर जिसमें कम से कम दो वर्ष वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक (होम्योपैथी) के रूप में होगी। विद्यमान उपनिदेशक (होम्योपैथी) जो 12,000–16,500 रुपये के वेतनमान (संशोधन पूर्व)/15,600–39,100+ग्रेड वेतन 7600 रुपये (संशोधित) में है। नियमित रूप से नियुक्त किए गये हैं वह प्रारम्भिक गठन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर (एस.एम.ओ.) पर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे।
3	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी वेतन समूह–3 (15,600–39,100 रुपये) ग्रेड पे 6600 रुपये	वरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता की शर्त के अधीन रिक्त पदों को ध्यान में न रखते हुए गैर चयन आधार पर 100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा	**8000–13,500 रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में की गई सेवा सहित वेतन समूह–3, ग्रेड पे 5400 रुपये में चिकित्सा अधिकारी के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर।**
4	चिकित्सा अधिकारी वेतन समूह–3 (15,600–39,100 रुपये, ग्रेड पे 5400 रुपये)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके यथानिर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली लिखित परीक्षा तत्पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।	शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा आयु सीमा आदि के लिये अनुसूची–V देखिए।

टीप– पदोन्नतियां "गैर चयन" आधार पर होंगी। विभागीय पदोन्नतियां उसी उप–संवर्गों के अधिकारियों तक सीमित होंगी।

अनुसूची–IV

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के समूह 'क' के पदों पर पदोन्नति या स्थायीकरण के विचारार्थ समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति :–

(क) मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) (गैर प्रकार्य चयन ग्रेड) के लिये विभागीय पदोन्नति समिति

1.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष
2.	संबंधित सचिव, दिल्ली सरकार	सदस्य
3.	संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह सरकार में पदेन सचिव न हो	सदस्य

(ख) **मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) के स्थायी हेतु**

1.	मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	अध्यक्ष
2.	संबंधित सचिव, दिल्ली सरकार	सदस्य
3.	संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह सरकार में पदेन सचिव न हो	सदस्य

नोट 1 : मनोनीत अधिकारी पदोन्नति के लिये विचारणीय व्यक्तियों से कम से कम सामान्यतः एक स्तर ऊपर होगा।

अनुसूची–V

क्र0 सं0	पद का नाम	आयु	शैक्षिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं
1	चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) वेतन समूह –3 (15,600–39,100 रुपये) ग्रेड पे 5400 रुपये)+प्रैक्टिस बंदी भत्ता	35 वर्ष से अधिक नहीं **टीप–1** : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय **टीप–2** : आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारो के आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।	**अनिवार्य** :– 1. परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) के अधीन या साविधिक राज्य बोर्ड/परिषद् से होम्योपैथी में डिग्री या समकक्ष 2. होम्योपैथी के केन्द्रीय या राजकीय रजिस्टर में नामांकन **टीप–1** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	लागू नहीं	लागू नहीं
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी)	लागू नहीं	लागू नहीं
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) (गैर प्रकायात्मक चयन ग्रेड)	लागू नहीं	लागू नहीं

दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश
तथा उनके नाम पर,

एस. के. सधान, उप–सचिव (स्वास्थ्य)

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 6th June, 2013

F. No. 2/201/2002/DISMH/Homoeo/3424.— In exercise of the powers conferred under article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68-DH(S), dated 24/9/1968, and in supersession of the Delhi Health Services Rules of General Duty Medical Officer (Homoeopathy), notified on 27th June, 2007, in the Directorate of ISM and Homoeopathy under Health and Family Welfare Department, Govt. of National Capital Territory of Delhi, the Lt. Governor, National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public Service Commission, is pleased to make the following rules namely :—

1. **Short Title and commencement** - (i) These rules may be called the Delhi Health Services General Duty Medical Officer (Homoeopathy) Rules, 2013.

   (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** – In these rules, unless the context otherwise requires –

   a) **"Commission"** means the Union Public Service Commission.

   b) **"Controlling Authority"** means the Health and Family Welfare Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

   c) **"Departmental Promotion Committee"** means Group 'A" Departmental Promotion Committee specified in Schedule IV for considering cases of promotion or confirmation in Group "A" posts of the service.

   d) **"Duty Post"** means any post, whether permanent or temporary, specified in Schedule-II.

   e) **"Government"** means the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution.

   f) **"Grade"** means any of the grades specified in Schedule-I.

   g) **"Schedule"** means a Schedule appended to these rules.

   h) **"Service"** means the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Homoeopathy).

3. **Constitution of Service** - (1) There shall be constituted a Service known as Delhi Health Service of General Duty Medical Officers (Homoeopathy) (Group 'A') consisting of persons, appointed under rule 7 and rule 8.

   (2) All the posts included in the Service shall be Group 'A' posts.

4. **Composition of the Service** - All duty posts, included in the Service shall be classified as General Central Civil Service Group " A " Gazetted, non-ministerial and the grades, scales of pay, non-practicing allowance and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule-I.

5. **Authorized Strength of the Service** - (i) The authorized strength of the duty posts included in the various grades of the Service on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule - II.

   (ii) After the commencement of these rules, the authorized permanent strength of the duty posts in the various grades shall be such as may from time to time be determined by the Government.

   (iii) The Government may make temporary addition to or reduction in the strength of the duty posts in the various grades as deemed necessary from time to time.

   (iv) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule-II or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

   (v) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4), to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

   (vi) Five per cent of the total number of posts of the Senior Medical Officers and Chief Medical Officers shall be included in the Service as "leave reserve".

2530 DG/13-3

6. **Members of the Service** - (1) The following persons shall be members of the Service, namely

(a) Persons appointed under sub-rule (v) of rule 5.
(b) Persons appointed to duty posts under rule 7, and
(c) Persons appointed to duty posts under rule 8.

(2) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate Grade applicable to him in Schedule-II.

(3) A person appointed under clause (c) of sub-rule (1) shall, be the Member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-II from the date of such appointment.

7. **Initial Constitution of the Service** - (1) All the General Duty Medical Officer/officers appointed under the Delhi Health Services of General Duty Medical Officer (Homoeopathy), Assistant Director (Homoeopathy) and Deputy Director (Homoeopathy) on or before the commencement of these rules shall be deemed to have been appointed under these rules and they shall be members of the service in the respective grades.

(2) The regular continuous service of officers referred to in sub- rule (1), before the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

8. **Future Maintenance of Service** —

i. The vacancies in any of the grades referred to in Schedule-II shall be filled in the manner as herein after provided under these rules.

ii. The method of recruitment, the field of selection for promotion including the minimum qualifying service in the immediate lower grade for appointment or promotion to the posts in the respective sub-cadres shall be as specified in Schedule-III.

iii. (i) The Departmental Promotions shall be confined to officers of the cadres.

(ii) The Departmental Promotions to higher posts shall be made on the basis of selection from amongst the officers of the Service in the immediate lower grade on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted as in Schedule-IV.

iv. If any officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to the higher post, all persons senior to him in the grade shall also be considered, provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than one year and have completed their probation period, if prescribed.

v. (i) Except while appointing a serving officer on non-selection basis (seniority-cum fitness), the selection of officers for maintenance of the service shall be made in consultation with the Commission, and wherever necessary, on the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee as specified in Schedule-IV.

(ii) The minimum educational and other qualification, experience and age limit for appointment of various duty posts in the Service by direct recruitment shall be as specified in Schedule-V.

Note : The promotion to the grades (other than entry grades) mentioned above shall be without linkage to vacancies.

vi. For functional purposes -

(a) A Senior Medical Officer when posted in a Dispensary/Hospital or in the Directorate of Indian System of Medicine and Homoeopathy shall be designated as Senior Medical Officer or as Assistant Director as the case shall be.

(b) A Chief Medical Officer when posted in a Dispensary/Hospital or in the Directorate of Indian System of Medicine and Homoeopathy shall be designated as Chief Medical Officer, or as Deputy Director as the case shall be.

(c) The existing Assistant Director in the scale of Rs. 10,000 -15,200 + NPA (pre-revised)/Rs. 15,600–39,100 + Grade Pay Rs. 6600/- + NPA (revised) and Deputy Director in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500 + NPA (pre-revised)/Rs. 15,600 – 39,100 + Grade Pay Rs. 7600/- + NPA (revised), shall be deemed to have been included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Senior Medical Officers in the scale of Rs. 10,000-15,200 + NPA (pre-revised)/ Rs. 15,600 – 39,100 + Grade Pay Rs. 6600/- + NPA (revised) and Chief Medical Officer in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500 + NPA (pre-revised) / Rs. 15,600 – 39,100 + Grade Pay Rs. 7600/- + NPA (revised) respectively. The Assistant Director, so included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Senior Medical Officers shall be eligible to be considered for appointment as Chief Medical Officers in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500 + NPA (pre-revised)/Rs. 15,600 – 39,100 + Grade Pay Rs. 7600/- + NPA (revised) on completion of five years of regular service as Assistant Director. The Deputy Director, so included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Chief Medical Officer shall be eligible to be considered for appointment in the grade of Chief Medical Officer (Non- functional Selection Grade) in the scale of pay of Rs. 14,300-18,300 + NPA (pre-revised)/PB IV Rs. 37,400 – 67,000 + Grade Pay Rs. 8700/- + NPA (revised) on completion of four years regular service in the grade".

9. **Seniority** - (a) The seniority of members of the service appointed to a grade at the time of initial constitution of the service under Rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules.

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(b) The seniority of officers recruited to posts other than those appointed under Rule 6 shall be determined in accordance with the orders issued by the Central Government in the matter from time to time.

(c) The seniority of persons recruited to the Service in accordance with sub-rule (v) of Rule 5 shall be fixed in the matter provided therein.

(d) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. **Probation** - (i) Every officer appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of one year :

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time.

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(ii) On completion of the probation or any extension thereof, officers shall if considered fit, may be confirmed against the post, if not already confirmed in the entry grade.

(iii) If during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, it may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(iv) During the period of probation, or any extension thereof candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

(v) As regards other matters relating to probation, the members of the Service will be governed by the instructions issued by the Government of India in this regard from time to time.

11. **Appointment to the Service** - All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority.

12. **Liability for service and other conditions of service** - (1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in Delhi.

(2) Private Practice prohibited :—

Persons appointed to the service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice.

Such persons shall be entitled to a Non- practicing allowance at the rate specified in Schedule-I.

The conditions of service of the members of the service in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, mutatis mutandis and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to officers of the Central Civil Services in general.

13. **Disqualification** - No person shall be eligible for appointment to the Service

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(ii) who having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

14. **Powers to relax** - Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. **Saving Clause** - "Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard".

16. **Interpretation** - If any question relating to the interpretation of these rules arises, the Government shall decide it in consultation with the Commission.

17. **Repeal** - The recruitment rules for the post of Medical Officer (Homoeopathy), Assistant Director (Homoeopathy) and Deputy Director (Homoeopathy) notified by notification no. F. 53/13/94/H&FW-II dated 12th April, 1999, F. No. 2(8)/82/S.II, dated 15/7/1982 and F. 11/1/97- H & FW-II, dated 12th May, 1999 respectively are repealed.

SCHEDULE-I

Grade, Scales of Pay and Non-Practicing Allowance etc. of Group-A Posts included in the Delhi Health Service Rules of General Duty Medical Officer (Homoeopathy):—

S. No.	Grade	Scale of Pay
i)	Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade)	PB-4 [Rs. 37,400-67,000] Grade Pay Rs. 8700
ii)	Chief Medical Officer	PB-3 [Rs. 15,600-39,100] Grade Pay Rs. 7600
iii)	Senior Medical Officer	PB-3 [Rs. 15,600-39,100] Grade Pay Rs. 6600
iv)	Medical Officer	PB-3 [Rs. 15,600-39,100] Grade Pay Rs. 5400

II- **Non – Practice Allowance:-**

Rates of Non-Practicing Allowance admissible as per orders issued from time to time by the Government.

III- **Annual Allowance:-**

Post Graduate Allowance/conveyance allowance/annual allowance admissible as per orders issued from time to time by the Government.

SCHEDULE- II

Authorized strength of Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Homoeopathy) cadre:-

S. No	Designation	No of Posts
1	**Directorate of Indian System of Medicine and Homoeopathy**	
	Deputy Director (Homoeopathy)	1
	Assistant Director (Homoeopathy)	1
2	**Homoeopathic Dispensaries**	
	General Duty Medical Officer (Homoeopathy)	109
3	**Nehru Homoeopathic Medical College and Hospital**	
	General Duty Medical Officer (Homoeopathy)	2
4	**Dr. B. R. Sur Homoeopathic Medical College, Hospital and Research Centre**	
	General Duty Medical Officer (Homoeopathy)	2
	Total	**115**

SCHEDULE – III

The method of recruitment, field of selection for promotion and the minimum qualifying service in the immediate lower grade or promotion of officers to Group " A " duty posts in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Homoeopathy) :-

Sl. No	Name of the Post	Method of recruitment for promotion	Field of Selection and Minimum qualifying service
1.	Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) PB-4 [Rs.37400-67000] + GP Rs.8700	100% by promotion on non-selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	**Promotion:** On completion of thirteen years of regular service in Group 'A' posts or on completion of 04 (four) years of regular service as Chief Medical Officer / Deputy Director (Homoeopathy) in Grade Pay of Rs. 7600 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 12000-16500 without linkage of vacancies.

2530 DG/13-4

2	Chief Medical Officer PB-3 [Rs.15600-39100] + GP Rs.7600	100% by promotion on non-selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	On completion of five 05 (five) years of regular service as Senior Medical Officer / Assistant Director (Homoeopathy) in Grade Pay of Rs. 6600 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 10000-15200 or on completion of nine years of combined regular service as Medical Officer and Senior Medical Officer / Assistant Director (Homoeopathy) of which at least two years shall be as Senior Medical Officer / Assistant Director (Homoeopathy), without linkage of vacancy. **Note** : The existing Deputy Director (Homoeopathy) who has been regularly appointed in the scale of Rs. 12,000 – 16,500 (pre-revised) / Rs.15600-39100 + GP Rs.7600 (revised) shall be included in the GDMO cadre at CMO level in the initial constitution.
3	Senior Medical Officer PB-3 [Rs.15600-39100] + GP Rs.6600	100% by promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	On completion of 04 (four) years regular service as Medical Officer in Grade Pay of Rs. 5400 in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 8000-13500. **Note** : The existing Assistant Director (Homoeopathy) who has been regularly appointed in the scale of Rs. 10,000 – 15,200 (pre-revised) / Rs.15600-39100 + GP Rs.6600 (revised) shall be included in the GDMO cadre at SMO level in the initial constitution.
4	Medical Officer PB-3 [Rs.15600-39100] + GP Rs.5400	By direct recruitment on the basis of a written examination to be conducted by the Union Public Service Commission to be followed by an interview through Union Public Service Commission in accordance with age	See Schedule V for qualification, experience and age limit, etc.

		limit and educational qualifications and experience as may be prescribed in consultation with the Union Public Service Commission.	

Note:
Promotions shall be on "Non- Selection" basis.
The departmental promotions shall be confined to officers of the same sub- cadres.

SCHEDULE –IV

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering the cases of promotion or confirmation in Group "A" posts in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Homoeopathy)

A. Departmental Promotion Committee for Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade), Chief Medical Officer and Senior Medical Officer(Homoeopathy)

a) Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi —Chairman
b) Secretary concerned in GNCT of Delhi —Member
c) HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi —Member

B. For Confirmation of Medical Officer (Homoeopathy)
a) Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi —Chairman
b) Secretary concerned in GNCT of Delhi —Member
c) HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi —Member

Note 1: The nominee officer should be normally at least one level above the level for which the persons are to be considered for promotion.

SCHEDULE –V

S. No.	Name of the Post	Age	Educational and other qualification required
1.	Medical Officer (Homoeopathy) {PB-3 [Rs. 15600-39100] + GP Rs. 5400} + NPA	Not exceeding 35 years **Note – 1** Relaxable for Govt. Servants by 5 years in accordance with instructions issued by the Central Govt. **Note - 2** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur,	**Essential** **(i)** Degree in Homoeopathy of a recognized University or Statutory State Board /Council of equivalent recognized under the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973) **(ii)** Enrolment on State Register or Central Register of Homoeopathy **Note:** Qualifications are

		Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub – division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep)	relaxable at the discretion of UPSC in case of candidates otherwise well qualified.
2.	Senior Medical Officer (Homoeopathy)	Not Applicable	Not Applicable
3.	Chief Medical Officer (Homoeopathy)	Not Applicable	Not Applicable
4.	Chief Medical Officer (Homoeopathy) (Non-Functional Selection Grade)	Not Applicable	Not Applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor of Delhi,
S. K. SACHAN, Dy. Secy. (Health)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.